

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 02.02.2026

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, मृतका का जैकेट व दस्तावेज बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष पीपीगंज अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2026 धारा 103(1),238(a) भा0न्या0सं0 व बढ़ोतरी धारा 61(2),3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त 1.विजय कुमार साहनी, 2. रामबिलास साहनी व अभियुक्ता 3. संध्या को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी, 01 अदद मृतका का जैकेट, 01 अदद मृतका का आधार कार्ड तथा पैनकार्ड का छायाप्रति बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.01.2026 की सुबह थाना स्थानीय पर थाना क्षेत्रान्तर्गत एक अज्ञात महिला का शव मिलने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी थी, जिसकी किसी के द्वारा हत्या कर देना प्रतीत हो रहा था। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त विजय कुमार साहनी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012 में मुम्बई में उसकी मुलाकात मृतका से हुयी थी और दोनों लिव-इन में रहने लगे थे, दोनों को एक 13 साल का लड़का भी हैं। मृतका अभियुक्त विजय से शादी करना चाह रही थी लेकिन विजय ने शादी से इंकार कर दिया। वर्ष 2014 में विजय के घर वालों ने विजय की शादी अभियुक्ता संध्या के साथ कर दिए। अभियुक्त विजय और संध्या के तीन बच्चे हैं। अभियुक्त अपनी पत्नी संध्या साहनी के साथ मुम्बई में ही रहता था, जिससे मृतका बार बार अभियुक्त पर संध्या को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी, इस बारे में संध्या को भी जानकारी हो गयी। अभियुक्त विजय अपनी पत्नी संध्या के साथ मिलकर मृतका को अपने पैतृक गांव घूमने के बहाने लाकर सुनियोजित तरीके अपने ससुर रामबिलास की स्कूटी से ले जाकर सुनसान जगह पर उसकी हत्या कर दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता का नाम व पता-

1. विजय कुमार साहनी पुत्र रामकेश साहनी निवासी ग्राम माडर पोस्ट पाली थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर हाल पता चारको कान्दीवली वेस्ट मुम्बई 67 मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. रामबिलास साहनी पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम तिघरा टोला सपहिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
3. संध्या साहनी पत्नी विजय कुमार साहनी निवासी ग्राम माडर पोस्ट पाली थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर हाल पता चारको कान्दीवली वेस्ट मुम्बई 67 मुम्बई (महाराष्ट्र)

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 31/2026 धारा 103(1),238(a),61(2),3(5) भा0न्या0सं0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद स्कूटी, 01 अदद मृतका का जैकेट, 01 अदद मृतका का आधार कार्ड तथा पैनकार्ड का छायाप्रति

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजमंगल सिंह प्रभारी एसओजी/स्वाट टीम जनपद गोरखपुर मय पुलिस टीम
3. उ0नि0 इन्द्रसेन सिंह प्रभारी एंटी थेफ्ट जनपद गोरखपुर मय पुलिस टीम
4. थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना चिलुआताल मय पुलिस टीम
5. थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह थाना गोला मय पुलिस टीम
6. उ0नि0 पुरुषोत्तम आनन्द सिंह जनपद गोरखपुर
7. उ0नि0 गौरव तिवारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
8. उ0नि0 मनीष राज थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
9. उ0नि0 बादल प्रसाद थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
10. कां0 प्रभाकर सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
11. कां0 अमरनाथ यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
12. कां0 चन्द्राकर यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
13. कां0 प्रांकुल थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
14. म0कां0 अनीषा यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
15. म0कां0 विद्या सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर